राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा

क्रमांक : सामान्य/कोरोना/2020/30842 दिनांक : 04 अप्रैल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शान्ति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षैत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है।

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.8()आ.प्र.एवं सहा/आ.प्र./2020/3968–72 दिनांक 28.03.2020 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में गृह मंत्रालय,भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डी दिनांक 24.03.2020 के अनुसार एन.डी.एम.एच.द्वारा जारी IRS Guideline के अनुसरण में COVID-19 की रोकथाम हेतु बिन्दु संख्या 14 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 30748 दिनांक 29/03/2020 के द्वारा आपदा की स्थिति से निपटने हेतु जिले में उपखण्ड स्तर (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र) पर Incident Commander नियुक्त किये गये है। इसी क्रम में शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक 4307 दिनांक 03/04/2020 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में उपखण्ड मजिस्ट्रेट/इन्सीडेन्ट कमाण्डर को सौंपे गये दायित्वों के सम्यक निर्वहन एवं इस हेतु अन्तरविभागीय समन्वय तथा सहयोग सुनिश्चित करने के लिए जिले में निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया जाता है :–

01. उपखण्ड स्तरीय कोर ग्रुप :–

1	उपखण्ड मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2	पुलिस उप अधीक्षक	सदस्य
3	विकास अधिकारी पंचायत समिति	संयोजक
4	तहसीलदार	सह संयोजक
5	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6	अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि.	सदस्य
7	ब्लॉक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
8	सहायक निदेशक कृषि/सहायक कृषि अधिकारी	सदस्य
9	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
10	आयुक्त नगर परिषद/अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका	सदस्य
11	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य उपखण्ड/तहसील/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कोर ग्रुप की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।

इस कोर ग्रुप द्वारा संबंधित उपखण्ड कार्यालय / तहसील कार्यालय / पंचायत समिति कार्यालय में उपखण्ड स्तरीय कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जावे जो की 24 X 7 कार्यरत हो तथा उसमें अराजपत्रित कर्मचारियों की पारी अनुसार ड्यूटी लगाई जावे। कोर ग्रुप द्वारा उपखण्ड क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स में बांट कर उनमें सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. / विकास प्राधिकरण / नगर विकास के अधिकारियों तथा अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को सेक्टर अधिकारी के रूम में बचाव एवं राहत कार्य तथा अन्तरविभागीय समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

02. ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप :–

1	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	ग्राम विकास अधिकारी	संयोजक
3	पटवारी	सह संयोजक
4	ए.एन.एम.	सदस्य
5	कृषि पर्यवेक्षक	सदस्य
6	महिला पर्यवेक्षक / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य

Scanned by CamScanner

ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा आवश्यकता अनुसार अन्य पंचायत स्तरीय कर्मचारियों को कोर ग्रुप की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है। **इस कोर ग्रुप द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय / राजीव गांधी सेवा केन्द्र में ग्राम पंचायत स्तरीय कन्ट्रोल रूम की स्थापना भी की जावे।** कोर ग्रुप द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न राजस्व ग्रामों की विशेष रूप से जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।

उपखण्ड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट / इन्सीडेन्ट कमाण्डर को उसे सौंपे गये दायित्व के निर्वहन में सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, दान दाताओं तथा स्वयं सेवी संगठनों आदि से पूर्ण सहयोग, समन्वय एवं सामन्जस्य कायम करते हुए कार्य किया जायेगा। कोर ग्रुप द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग, संसाधनो की उपलब्धता, खाद्य एवं राहत सामग्री का वितरण, क्वेरेनटाईन सेन्टर का प्रबंधन, कान्टेक्ट ट्रेसिंग, बचाव के उपायों का प्रचार–प्रसार, बाहर से आये हुए व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना का संकलन तथा उससे संबंधित व्यवस्था करने के साथ ही किसी भी गंभीर स्थिति में उच्चाधिकारियों को अवगत कराने का कार्य किया जायेगा। इसके अलावा उक्त कोर ग्रुप द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोर ग्रुप का सहयोग लेते हुए इन्सीडेन्ट कमाण्डर के रूप में सौपें गये समस्त दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

अतः इस संबंध में सुमुचित कार्यवाही की जाकर निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावें तथा पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय को जरिये ईमेल आई.डी. deobhilwara@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
02. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
06. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा
07. प्रभारी अधिकारी वॉर रूम (अति.जिला कलक्टर शहर भीलवाड़ा)
08. प्रभारी अधिकारी नियत्रंण कक्ष।
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी भीलवाड़ा
10. आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा
11. समस्त उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा
12. समस्त पुलिस उप अधीक्षक जिला भीलवाड़ा
13. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति जिला भीलवाड़ा
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
15. समस्त अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा
16. समस्त ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा
17. समस्त सहायक निदेशक कृषि/सहायक कृषि अधिकारी जिला भीलवाड़ा
18. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
19. समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जिला भीलवाडा
20. समस्त सचिव कृषि उपज मण्डी समिति जिला भीलवाड़ा
21. सहायक निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क, भीलवाड़ा
22. सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण ।
23. अति.निजी सचिव, जिला कलक्टर/निजी सहायक अति.जिला कलक्टर भीलवाड़ा

जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner